Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

OFF.
V.C. : 2581280
REGI.: 2580044

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर–208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./R.camp /4309 /2021

दिनांक : 08/09/ 2021

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि संकाय के अन्तर्गत संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों को सत्र 2021–22 से वार्षिक पद्धित के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति में परिवर्तित किये जाने एवं अन्य अनुसांगिक परिवर्तनों के कारण, विश्वविद्यालय से सम्बन्ध समस्त शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के उपरोक्त उल्लिखित संकायों में संचालित अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्र–छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क का विस्तृत आदेश पूर्व कार्यालय आदेश संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./आर.कैम्प./4280/2021 दिनांक 31.08.2021 द्वारा संसूचित किया गया था।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के पश्चात के आर्थिक परिवेश का संज्ञान लेते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021–22 में कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि संकाय के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों से लिए जाने परीक्षा शुल्क पर 15 प्रतिशत की रियायत, इस शैक्षिक सत्र (2021–22) के लिए, दी जाएगी। तदनुसार इन संकाय के छात्रों से सत्र 2021–22 में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में लिये जाने वाला शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क. सं.	कक्षा	संकाय/पाठ्यकम	शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु प्रथम वर्ष के छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क की राशि
1.	स्नातक	कला,वाणिज्य, विज्ञान, कृषि	रु0 585/–प्रति सेमेस्टर, प्रायो./मौखिक रु0 100/– प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त
2.	परास्नातक	कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि	रु0 710/–प्रति सेमेस्टर, प्रायो./मौखिक रु0 100/– प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त

साथ ही, इन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021–22 में पी0एच–डी0 कोर्स वर्क हेतु पंजीकृत कराने वाले छात्रों से पूर्व वर्ष के भांति ही शुल्क लिया जाएगा, तथापि आगामी शैक्षिक सत्र से सभी श्रेणी के छात्रों से पुनरीक्षित शुल्क ही लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रों से सरकारी सेवायोजन के प्रकरणों में किसी प्रकार सत्यापन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डॉ0 (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त संकाय के अधिष्ठाताओं के सूचनार्थ।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
4. वैयक्ति सहायक, वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
5. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन में तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. समस्त सहायक कुलसचिव।
7. प्रभारी, मीडिया।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव